उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-2
संख्या-3/703/14-2-2014-111/1992 टीसी
लखनऊ, दिनांक 03 मार्च,2014

संशोधन आदेश

उत्तर प्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार'विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1972) की धारा 6 की उपधारा(2) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल वर्ष 2014 के लिए मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी और चित्रकूटधाम मण्डलों में विक्रय के लिए प्रस्तुत तेन्दू पत्तों के राज्य सरकार के द्वारा या उसकी ओर से उक्त वर्ष के लिए क्रय के उचित और युक्तियुक्त मूल्य निर्धारण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देने के निमित्त अपने-अपने मण्डलो के लिए परामर्श देने हेहतु समितियों के गठन विषयक अधिसूचना संख्या- 3001/14-2-2014-111/1992 टी0सी0, दिनांक 25-02-2014 के संबंध में अधिसूचना के प्रस्तर-3 में मिर्जापुर मण्डल हेतु गठित समिति में क्रमांक-3 पर अंकित "क्षेत्रीय प्रबंधक, द0क्षे0,उत्तर प्रदेश वन निगम" के स्थान पर "क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद क्षेत्र, उ0प्र0 वन निगम" पढ़ा जाय।

2- उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है व अवशेष विषयवस्तु यथावत रहेगी।

वी0एन0गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या- 703(1)/14-2-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विधायी परिशिष्ट अनुभाग-4 खण्ड(ख) के अंक में प्रकाशित कराने एवं प्रकाशित सूचना की 25 प्रतियां शासन के वन अनुभाग-2 एवं 2-2 प्रतियां उपर्युक्त गठित परामर्श दात्री समितियों के अध्यक्ष, संयोजक एवं सदस्यों को भी भेजने का कष्ट करें।
2- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम।
3- उक्त समिति में नामित समस्त अध्यक्ष/संयोजक एवं सदस्यों।
4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रतिभा सिंह)
विशेष सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in